भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1879
उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

नशीली दवाओं का सेवन

1879. श्री राधेश्याम राठियाः
श्री विजय बघेलः
श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः
श्री मनोज तिवारीः
श्री बलभद्र माझीः
श्री नव चरण माझी:
श्री अनुराग शर्माः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि करने और नशीली दवाओं के सेवन से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत कौन-कौन से विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) सरकार का आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और आयुष आधारित हस्तक्षेपों को राज्य और जिला स्तरों पर मौजूदा स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति कार्यक्रमों के साथ किस प्रकार एकीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सहित वृद्ध लोगों और नशामुक्ति के लिए आयुष आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को अतिरिक्त वितीय सहायता प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बेमेतरा जिले सहित राज्यवार/जिलावार कुल कितनी वितीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं -

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

i. आयुष स्वायत्त निकायों को वृद्धावस्था स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना में सुविधा और सहायता प्रदान करना।

ii. वृद्धावस्था स्वास्थ्य और मादक पदार्थों के सेवन के क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करना।

iii. वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्रों में किसी भी आयुष सेवा के एकीकरण को बढ़ावा देना।

iv. वरिष्ठ नागरिकों और नशाग्रस्त व्यक्तियों के निवारक और उपचारात्मक पहलुओं में आयुष प्रणाली को शामिल करना।

v. वरिष्ठ नागरिकों और मादक पदार्थों के सेवनकर्ताओं के बीच आयुष प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना।

vi. नशामुक्ति और वृद्धावस्था की देखभाल पर आईईसी सामग्री विकसित करने में सहयोग करना।

vii. वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं और मादक पदार्थों के सेवन संबंधी परामर्शदाताओं की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने में सहयोग करना।

आयुष मंत्रालय

i. वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं और मादक पदार्थों के सेवन संबंधी परामर्शदाताओं के क्षेत्र में आयुष प्रणाली का प्रशिक्षण मॉड्यूल और उपचार प्रोटोकॉल विकसित करना।

ii. वरिष्ठ नागरिकों और मादक पदार्थों के सेवन करने वालों के लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम पर वीडियो मॉड्यूल विकसित करना।

iii. वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवारक और उपचारात्मक देखभाल, मुख्यतः वृद्धावस्था देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान और प्रथाओं को साझा करना।

iv. वरिष्ठ नागरिकों और मादक पदार्थों के सेवन करने वालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष से संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करना।

v. समझौता ज्ञापन के अंतर्गत स्वायत्त निकायों में अलग-अलग नशामुक्ति और वृद्धावस्था चिकित्सा इकाइयां स्थापित करना।

आयुष हस्तक्षेप के माध्यम से नशा मुक्ति में प्राथमिक रोकथाम, प्रभावितों का उपचार, द्वितीयक रोकथाम और पुनर्वास शामिल हैं।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****